न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 64/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/157)

उनवानी प्रकरण :–

गनेश पुत्र भान्ता उम्र करीव 50 वर्ष जाति भोई निवासी ग्राम ओडेला तहसील व जिला धौलपुर ———————**अपीलान्ट**

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत भू स्वामी धौलपुर
2–महादेवी पत्नी बनवारी जाति भोई निवासी बीच की गली ओडेला तहसील व जिला धौलपुर ——————**रेस्पोडेण्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 704 दिनांक 1.07.2015 बॉके ग्राम ताल ओडेला आदेश तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री धीरज शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ट सं0 2की ओर से :–श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 06.07.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम ताल ओडेला पटवार हल्का फिरोजपुर तहसील धौलपुर में से उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री पत्नी श्री गोपाल जाति भोई निवासी कल्ला का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर से उसके हिस्से में से 5/36 भाग एक भूखण्ड के रूप में

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिसकी पूर्वी भुजा 87.6फुट, पश्चिमी भुजा 87.6फुट, उत्तरी भुजा 39 फुट, व दक्षिणी भुजा 39 फुट अर्थात 379.16 वर्गगज है को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 09.02.2015 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 02 में पृष्ठ संख्या 72 क्रम संख्या 2015000476 पर पंजीवद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 09 के पृष्ठ संख्या 276 से 286 पर चस्वा किया गया है के जरिये क्रय किया गया था तथा इसके बाद रेस्पो0संख्या-2 महादेवी ने आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम ताल ओडेला में से 5/36 भाग अर्थात 2.5 विस्व आराजी को उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री पत्नी श्री गोपाल जाति भोई से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 12.02.2015 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 02 में पृष्ठ संख्या 100 क्रम संख्या 2015000500 पर पंजीवद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 09 के पृष्ठ संख्या 517 से 525 पर चस्वा किया गया है के जरिये क्रय किया गया था। अपीलान्ट व रैस्पो0संख्या-2 अपने अपने वयनामा हल्का पटवारी को नामान्तकरण खुलवाने हेतु दे दिये लेकिन हल्का पटवारी व तहसीलदार धौलपुर द्वारा रैस्पो0संख्या-2 महादेवी के नाम से इन्तकाल नम्बर 688 दिनांक 30.3.2015 को उक्त आराजी में से 5/36 भाग की खातेदारी का नामान्तकरण खोल दिया गया तथा रामश्री का शेष हिस्सा जो अपीलान्ट ने भूखण्ड के रूप में क्रय किया था उसका नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम ना खोल कर गलत व अवैध रूप से पुनः नामान्तकरण संख्या 704 दिनांक 01.07.2015 को रैस्पो0संख्या-02 महादेवी के नाम से खोल दिया जो नामान्तकरण अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबिले अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है इसलिये अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 704 तारीखी 01.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है क्योकि रैस्पो0संख्या-2 महादेवी के नाम उसके द्वारा क्रय की गयी आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्व में से 5/36 भाग अर्थात 2.5 विस्वा आराजी का नामान्तकरण संख्या 688 तारीखी 30.03.2015 को खोल दिया गया था इसके अलावा शेष रामश्री के हिस्से की आराजी को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 12.02.2015 क्रय किया था जिस वयनामा के आधार पर अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण संख्या 704 तारीखी 01.07.2015 ना खोल कर पुनः रैस्पोडेन्ट संख्या 02 महादेवी के नाम से खोल दिया है जो कि प्रारम्भ से नल एण्ड वॉयड व निष्प्रभावी एवं शून्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 704 तारीखी 01.07.2015 तथ्यों व विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है इसलिये उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 704 को निरस्त कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। उक्त गलत व अवैध नामान्तकरण को निरस्त कराकर अपीलान्ट अपने वयनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा पाने का कानूनन अधिकारी है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

704 तारीखी 01.07.2015 की जानकारी तब हुई जब प्रार्थी ने पटवार हल्का से जमाबंदी देखी तब पता चला तो अपीलान्ट ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट की अपील को ज्ञान से अन्दर म्याद सुमार किया जाना आवश्यक है। यद्वपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी बरफू हुज्जत हस्ब दफा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 704 बॉके ग्राम ताल ओडेला आदेश तारीखी 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी के वयनामा तारीखी 09.02.2015 के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण करवाये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 704 बॉके ग्राम ताल ओडेला, नकल नामान्तकरण संख्या 688 तारीखी 30.3.2015 ग्राम ताल ओडेला, हाल जमाबंदी सम्वत 2076–79 ग्राम ताल ओडेला, जमाबन्दी सम्बत 2069–72 ग्राम ताल ओडेला, फोटोप्रति वयनामा महादेवी दिनांक 12.2.2015, फोटोप्रति वयनामा गनेश तारीखी 9.2.2015, पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया, पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम तब हुई जब प्रार्थी ने पटवार हल्का से जमाबंदी आज से अर्सा करीब 01 माह पूर्व देखी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। इस विनाय पर प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 414 में से उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री से उसके हिस्से में से 5/36 भाग अर्थात 379.16 वर्गगज को को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 09.02.2015 से क्रय किया गया था तथा इसके बाद रेस्पो0संख्या-2 महादेवी ने आराजी खसरा नम्बर 414 में से 5/36 भाग अर्थात 2.5 विस्व आराजी को उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 12.02.2015 के जरिये क्रय किया गया था। हल्का पटवारी व तहसीलदार धौलपुर द्वारा रैस्पो0संख्या-2 महादेवी के नाम से इन्तकाल नम्बर 688 दिनांक 30.3.2015 को उक्त आराजी में से 5/36 भाग की खातेदारी का नामान्तकरण खोल दिया गया तथा रामश्री का शेष हिस्सा जो अपीलान्ट ने क्रय किया था उसका नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम ना खोल कर गलत व अवैध रूप से पुनः नामान्तकरण संख्या 704 दिनांक 01.07.2015 को रैस्पो0संख्या-02 महादेवी के नाम से खोल दिया जो नामान्तकरण अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबिले अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 704 तारीखी 01.07.2015 तथ्यों व विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है इसलिये उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 704 को निरस्त कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का नामान्तकरण खोला जाना न्यायसंगत है। उक्त गलत व अवैध नामान्तकरण को निरस्त कराकर अपीलान्ट अपने वयनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा पाने का कानूनन अधिकारी है। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। नामान्तकरण संख्या 704 को चुनौती दी है जबकि अपीलान्ट उससे एग्रीव्ड नहीं है। अपीलान्ट के कथन रेगूलर दावे में ही तय किये जा सकते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 414 में से उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री से उसके हिस्से में से 5/36 भाग अर्थात 379.16 वर्गगज को को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 09.02.2015 से क्रय किया था तथा इसके बाद रेस्पो0संख्या-2 महादेवी ने आराजी खसरा नम्बर 414 में से 5/36 भाग अर्थात 2.5 विस्व आराजी को उक्त आराजी की 1/3 भाग की खातेदार श्रीमती रामश्री से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 12.02.2015 के जरिये क्रय किया गया था। हल्का पटवारी व तहसीलदार धौलपुर द्वारा रैस्पो0संख्या-2 महादेवी के नाम से इन्तकाल नम्बर 688

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: गनेश बनाम सरकार व अन्य
अपील संख्या 64/2021

दिनांक 30.3.2015 को उक्त आराजी में से 5/36 भाग की खातेदारी का नामान्तकरण खोल दिया गया तथा रामश्री का शेष हिस्सा जो अपीलान्ट ने क्रय किया था उसका नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम ना खोल कर गलत व अवैध रूप से पुनः नामान्तकरण संख्या 704 दिनांक 01.07.2015 को रैस्पो0संख्या–02 महादेवी के नाम से खोल दिया जो नामान्तकरण अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबिले अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। इस सम्बध में रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि नामान्तकरण संख्या 704 को चुनौती दी है जबकि अपीलान्ट उससे एग्रीव्ड नहीं है। अपीलान्ट के कथन रेगूलर दावे में ही तय किये जा सकते है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया एवं मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे किसी के अधिकार तय नहीं होते। उसके लिये सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को स्वत्व घोषणा के लिये अपना बाद पत्र प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करा सकता है इसके लिए अपीलान्ट स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर